कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612080/2656355-7 Fax 021-2612080

कमांक / बैठक / 2019 / 969 दिनांक :: 06 सितम्बर, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक **04 जुलाई 2019** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है । अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 04 जुलाई 2019 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2019 के प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णय में भूखण्ड संख्या 148 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 23 सेक्टर–1 रामराज नगर का आवंटन निर्णय प्रस्तावित था। लेकिन उक्त कार्यवाही विवरण में भूखण्ड 23 सेक्टर–1 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 148 अंकित हुआ है। जो सही नहीं है। अतः इसको मद्देनजर रखते हुए शुद्धि पत्र कमांक एफ.46 / आवंटन (पश्चिम) / 2019 / 3865 – 3846 दिनांक 24 जुलाई, 2019 जारी करते हुए प्रस्ताव संख्या 12 के निर्णय में आवश्यक संशोधन करते हुए भूखण्ड संख्या 148 के स्थान पर भूखण्ड संख्या 23 सेक्टर–1 राजराम नगर पढा जाने का आदेश जारी किया गया है। अतः बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति के गत बैठक दिनांक 4 जुलाई, 2019 के कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 12 में उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु जारी शुद्धि पत्र की पुष्टि करते हुए शेष समस्त निर्णयों को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: संस्थापन शाखा कार्यकारी समिति हेतु मंत्रालयिक, विधि, आयोजना सेवा, प्रवर्तन एंव सतर्कता सेवा हेतु केडर रिव्यू प्रस्ताव (JDA/FTS/93440 एंव 92642)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंषा की जाती हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि प्राधिकरण गठन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण में उच्च स्तरीय नवीन पदों की समय–समय पर स्वीकृति जारी की गई परन्तु मंत्रालयिक विधि, आयोजना सेवा, प्रवर्तन एंव सतर्कता सेवा के पदों में कैडर स्ट्रेन्थ के अनुरूप पदों की नवीन स्वीकृति जारी नही की गई हैं।

प्राधिकरण में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक कार्मिको द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन प्रस्तुत कर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14 (9) वित्त/नियम/2013 पार्ट I दिनांक 24.04.2017 के अन्तर्गत मंत्रालयिक कार्मिकों के पदों का पुर्नगठन अनुपातिक क्रम में किये जाने का अनुरोध किया गया हैं।

प्राधिकरण गठन होने के बाद मंत्रालयिक कार्मिकों के स्ट्रेन्थ कैडर के अन्तर्गत स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

अति. प्रशा. अधिकारी	सहा. प्रशा. अधिकारी	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
01	03	15	50

राज्य सरकार के उक्त आदेश के अन्तर्गत मंत्रालयिक पदों का अनुपात निम्नानुसार स्वीकृत हैं :–

सहा. प्रशा. अधिकारी	वरिष्ठ सहायक	कनिष्ठ सहायक
01	02	03

मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत 100 पदों पर, किन्तु जिन विभागों में मंत्रालयिक संवर्ग के 50 या इससे अधिक किन्तु 100 से कम पद हैं, न्यूनतम एक प्रशासनिक अधिकारी का पद भी स्वीकृत होना हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण का वृहद कार्यक्षेत्र एंव कार्य की अधिकता के मध्यनजर मंत्रालयिक पदों का उक्त अनुपात में कैडर स्ट्रेन्थ रिव्यू करवाते हुए उसी अनुपात में नवीन पदों के सृजन की सक्षम स्वीकृति जारी करवाने हेतु राज्य सरकार को निम्नानुसार प्रस्ताव भिजवाया जाना प्रस्तावित हैं

<u>मंत्रालयिक पदों का कैडर स्टैन्थ</u>

क्रं. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	नवीन पदों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव	कुल पद
01.	प्रशासनिक अधिकारी	—	—	—	01	01
02.	अति0 प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—	01	02
03.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	03	03	—	07	10
04.	वरिष्ठ सहायक	15	11	04	05	20
05.	कनिष्ठ सहायक	50	20	30	10	60

आयोजना शाखा में स्वीकृत व नवीन वांछित पदों (मास्टर प्लान सेल को सम्मिलित करते हुए) हेतु कैडर स्टैन्थ

क. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	प्राधिकरण बैठक दिनांक 22.02. 2018 मे गठित मास्टर प्लान प्रकोष्ठ हेतु स्वीकृत नवीन पद	अतिरिक्त वांछित पद	कुल पद
1.	निदेशक आयोजना	1	—	—	1
2.	वरिष्ठ नगर नियोजक	—	1	—	1
3	उप नगर नियोजक	2	2	—	4
4	सहायक नगर नियोजक	4	2	—	6
5	नगर नियोजन सहायक	1	—	5	6
6	वरिष्ठ प्रारूपकार	1	2	—	3
7	प्रारूपकार	3	—	1	4
8	ट्रेसर	1	—	—	1
9	फेरोमेन	1	—	—	1
10	जी0आई0एस विशेषज्ञ	—	1	1	2
		14	8	7	29

विधि शाखा में स्वीकृत व नवीन वांछित पदों हेतु कैडर स्टैन्थ

क्रं. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अतिरिक्त वांछित पद	कुल पद
01.	निदेशक (विधि)	1	1	0	0	1
02.	उप निदेशक (विधि)	1	1	0	0	1
03.	सहायक विधि परामर्शी	1	0	1	0	1
04.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	1	0	1
05.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2	1	0	2	4
06.	स्टेनो	—	—	—	1	1
07.	सूचना सहायक	—	—	—	1	1
08.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1	0	1	1

प्रर्वतन एंव सतर्कता सेवा में स्वीकृत व नवीन वांछित पदों हेतु केडर स्टैन्थ

क्रं. सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त	अतिरिक्त वांछित पद	कुल पद
01.	मुख्य नियन्त्रक प्रर्वतन	1	—	1	—	1
02.	उप निदेशक (प्रर्वतन)	—	—	—	01	1
03.	प्रर्वतन अधिकारी	—	—	—	04	04
04.	सहायक (प्रर्वतन) अतिक्रमण रोक अधिकारी	02	01	01	—	02
05.	प्रर्वतन निरीक्षक	06	02	04	02	08

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पद सृजन हेतु प्राधिकरण की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को पद सृजन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोधपुर शहर में प्रस्तावित सारण नगर से बनाड़ तक फोर–लेन सड़क निर्माण, जोजरी नदी पर पुल व माता का थान नाले को जोजरी नदी तक जोड़ने के कार्य की डी.पी. आर बनाने के संबंध में। (JDA/FTS/93807)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	कार्यकारी समिति की प्रत्याशा, में प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव

जोधपुर शहर में प्रस्तावित सारण नगर में बनाड़ तक फोर–लेन सड़क निर्माण, जोजरी नदी पपर पवुल व माता का थान नाले को जोजरी नदी तक जोड़ने के कार्य की राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर. बनाने हेतु वर्ष 2019–20 बजट में दिनांक 10.07.2019 को घोषणा की गई थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने पर कुल अनुमानित व्यय 118.00 लाख (डी.पी.आर. बनाने पर 100.00 लाख +18% GST) होंगे जिसके लिए एस.ओ.पी. आईटम संख्या 06 के तहत कन्सलटेन्सी कार्य होने के कारण प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति कीर शक्तियाँ कार्यकारी समिति में निहित है जिसकी प्रित्याशा में उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने हेतु प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है। अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

एजेण्डा नोटः–

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा डी.पी. आर बनाने हेतु वर्ष 2019–20 बजट में दिनांक 10.07.2019 को घोषणा की गई थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने पर कुल अनुमानित व्यय 118.00 लाख (डी.पी.आर. बनाने पर 100.00 लाख + 18% GST) होंगे जिसके लिए एस.ओ.पी. आईटम संख्या 06 के तहत कन्सलटेन्सी कार्य होने के कारण प्रशासनिक, वित्तिय एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति की शक्तियाँ कार्यकारी समिति में निहित है जिसकी प्रत्याशा में उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने हेतु प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा निविदा जारी की जा चुकी है।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर शहर में प्रस्तावित ऐलिवेटेड रोड़ की डी.पी.आर बनाने हेतु कन्सलटेन्सी कार्य जिसकी लागत रू. 295.00 लाख है, कि प्रशासनिक एवं तकनिकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। **(JDA/FTS/93345)**	कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति के अनुमोदन का प्रस्ताव

उपरोक्त विषय में राज्य सरकार द्वारा डी.पी.आर. बनाने हेतु वर्ष 2019-20 बजट में दिनांक 10.07.2019 को घोषणा की गई थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने पर कुल अनुमानित व्यय 295.00 लाख (डी.पी.आर. बनाने पर 250.00 लाख + 18% GST) होंगे जिसके लिए एस.ओ.पी. आईटम संख्या 06 के तहत् कन्सलटेन्सी कार्य होने के कारण प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति की शक्तियाँ कार्यकारी समिति में निहित है जिसकी प्रत्याशा में उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने हेतु प्राधिकरण के जोन-आरओबी द्वारा निविदां जारी की जा चुकी है। चूकिं फिजिबिलिटि का कार्य डी.पी.आर. में शामिल है, अतः पूर्व में जारी फिजिबिलिटि कार्य की निविदां निरस्त करने एवं डी.पी.आर. हेतु रू. 295.00 लाख की वित्तीय एवं तकनिकी स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेन्स की स्वीकृति हेतु आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत हैं।

एजेण्डा नोटः-

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में महामंदिर से आखलिया तक एलिवेटेड रोड़ की डी.पी.आर. बनाने हेतु बजट में घोषणा दिनांक 10.07.2019 को की थी। इस क्रम में प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को बजट उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा गया था, इस कार्य की डी.पी.आर. बनाने पर अनुमानित व्यय कुल रू. 295.00 लाख (250.00 + 18% GST) होगा, एस.ओ.पी. के आईटम सं. 06 के तहत् कन्सलटेन्सी कार्य जिसकी अनुमानित लागत रू. 295.00 लाख है, की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा टर्म ऑफ रेफ्रेंस की स्वीकृति प्रदान करने में कार्यकारी समिति सक्षम है, जिसकी प्रत्याशा में उक्त कार्य की डी.पी.आर. बनाने हेतु प्राधिकरण के जोन-आरओबी द्वारा निविदां जारी की जा चुकी हैं चूकिं उक्त कार्य की फिजिबिलिटि रिपोर्ट का कार्य भी डी.पी.आर. में शामिल है, अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी फिजिबिलिटि कार्य की निविदां को निरस्त किये जाने की स्वीकृति एवं महामंदिर से आखलिया तक एलिवेटेड रोड़ की डी.पी.आर. बनाने हेतु राशि रू. 295.00 लाख की वित्तीय प्रशासनिक, एवं तकनीकी स्वीकृति एवं टर्म ऑफ रेफ्रेंस की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अन

प्रस्ताव संख्या 5 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय मे फोटो कॉपी करने का काय (वार्षिक अनुबंध) (JDA/FTS/71666)

क्र. सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्याकरण में फोटो कॉपी करने का कार्य (वार्धिक अनुंबध)	कार्यादेश जारी तथा वार्षिक दर संविदा के तहत स्वीकृत दरो की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित

एजेण्डा नोटः–

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा कमांक 01/2019–20 दिनांक 05.08.2019 जो कि फोटो कॉपी कार्य से संबंधित थी उक्त निविदा दिनांक 12.06.2019 को खोली गई, जिसमें दो निविदाएं प्राप्त हुई, प्राप्त ई–निविदा मे ऑवर ऑल L-1 न्युनतम निविदादाता से नेगोशियेशन पश्चात प्राप्त दरो का कार्यादेश मैसर्स राज लक्ष्मी को जरिये कमांक 49 दिनांक 05.08.2019 को जारी किया गया।

कार्यकारी समिति से अनुमोदन की प्रत्याशा में फर्म को दर संविदा आदेश दिया जा चुका है। तदनुसार उसे स्वीकृत किया जाना है अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।

Sl.No	Description of Work / Item(s)	Quantity	Units	Rate
	फोटो कॉपी का कार्य **B/W** दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
1	A4 size	1.00	Each	0.55
2	A3 size	1.00	Each	1.45
3	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.68
4	17'x36'	1.00	Each	0.70
5	18'x36'	1.00	Each	0.80
6	20'x36'	1.00	Each	2.00
7	23'x36'	1.00	Each	2.50
8	30'x36'	1.00	Each	2.50
9	40'x36'	1.00	Each	2.50
10	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.52
11	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.63
	B/W दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
12	A4 size	1.00	Each	0.72
13	A3 size	1.00	Each	1.80
14	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	0.95
15	17'x36'	1.00	Each	0.98
16	18'x36'	1.00	Each	0.90
17	20'x36'	1.00	Each	0.95
18	23'x36'	1.00	Each	2.00
19	30'x36'	1.00	Each	2.00
20	40'x36'	1.00	Each	3.00
21	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.52
22	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.63

	Colour दरे प्रति कॉपी (एक तरफ)			
23	A4 size	1.00	Each	6.00
24	A3 size	1.00	Each	7.50
25	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	6.50
26	17'x36'	1.00	Each	5.00
27	18'x36'	1.00	Each	5.00
28	20'x36'	1.00	Each	5.00
29	23'x36'	1.00	Each	5.00
30	30'x36'	1.00	Each	5.00
31	40'x36'	1.00	Each	5.00
32	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.81
33	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.81
	Colour दरे प्रति कॉपी (दोनो तरफ)			
34	A4 size	1.00	Each	6.00
35	A3 size	1.00	Each	8.00
36	FS Size (A1,A2,Map Etc.)	1.00	Each	7.00
37	17'x36'	1.00	Each	4.00
38	18'x36'	1.00	Each	4.00
39	20'x36'	1.00	Each	4.00
40	23'x36'	1.00	Each	4.00
41	30'x36'	1.00	Each	4.00
42	40'x36'	1.00	Each	4.00
43	More than 40' Running Inch	1.00	Each	0.90
44	Colour photo copy per Inch	1.00	Per Inch.	0.90
	स्पारयल बाईडिंग करने का कार्य			
45	Up to 50 Page (A4Size)	1.00	Each	8.00
46	Up to 100 Page (A4Size)	1.00	Each	8.00
47	More than 100 Page (A4Size)	1.00	Each	8.00
48	Up to 50 Page (FS Size)	1.00	Each	8.00
49	Up to 100 Page (FS Size)	1.00	Each	8.00
50	More than 100 Page (FS Size)	1.00	Each	8.00

एजेन्डा नोट, कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: नवदुर्गा नगर, ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 3, 3/2, 4, 5, 2 व अन्य में सार्वजनिक पार्क हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत्।
(JDA/FTS/11490)

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव

01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंषा की जाती हैं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय विधायक महोदया श्रीमति मनीषा पंवार द्वारा कार्यालय में नवदुर्गा नगर, ग्राम ढण्ढ के खसरा संख्या 3, 3/2, 4, 5, 2 व अन्य में सार्वजनिक पार्क विकसित किये जाने बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त के क्रम में नवदुर्गा कोलोनी को सम्मिलित करते हुए आस पास के मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय भू–उपयोग में आरक्षित लगभग 222 एकड क्षेत्रफल प्राप्त होता है। मास्टर प्लान 2023 के रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4.4 अनुसार जनसंख्या घनत्व 100 प्रति एकड मानते हुए उक्त क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 22,200 प्राप्त होती है। URDPFI गाईडलाईन अनुसार अपेक्षित हरित क्षेत्र प्रति 15,000 जनसंख्या पर एक हैक्टेयर होना चाहिए। मास्टर प्लान पर दर्शाये गये उक्तआवासीय भू–उपयोग क्षेत्र हेतु लगभग 1.5 हैक्टेयर पार्क हेतु भूमि होनी चाहिए। माननीय विधायक महोदया द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन अनुसार उपरोक्त खसरान् में विकसित आवासीय कोलोनियों में लगभग 850 मकान निर्मित है परन्तुउक्त कोलोनियों में कोई पार्क उपलब्ध नही है, न ही बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान है। उक्त प्रतिवेदन में पार्क हेतु चाही गयी भूमि का क्षैत्रफल लगभग 1.15 हेक्टेयर प्राप्त होता है।

कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित खसरा संख्या 3 रकबा 23.52 बीघा व खसरा संख्या 4 रकबा 36.51 बीघा में पार्क/खुला क्षेत्र हेतु भूमि आरक्षित नही की गई है। उपरोक्त खसरा संख्या 3 की अनुमोदित योजना के दक्षिण दिशामें व 60 फीट सडक के मध्य स्थित त्रिभुजाकार भूमि, जिस पर अनुमोदित योजना मानचित्र में ओपन लेण्ड अंकित है, कोही माननीय विधायक महोदयाद्वारा सार्वजनिक पार्क हेतु मय चार दीवारी निर्माण कर भूमि आरक्षित करने बाबत् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। मास्टर प्लान 2023 अनुसार पार्क हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का भू–उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित त्रिभुजाकार भूमि, जिस पर उपरोक्त वर्णित अनुमोदित योजना मानचित्र में ओपन लेण्ड अंकित है, को सार्वजनिक पार्क घोषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोजरी रिवर फ्रन्ट डवलपमेंट की डीपीआर बनाने हेतु वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के क्रम में। (JDA/FTS/94595)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंषा की जाती हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा के बजट सत्र 2019–20 में जोधपुर स्थित जोजरी नदी को रिवर फ्रन्ट डवलपमेंट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा बनाड़ से सालावास तक लगभग 30.8 किमी. में डीपीआर बनाने हेतु WAPCOS से प्रस्ताव मांगे गये। WAPCOS, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India का एक उपक्रम है। उनके द्वारा डीपीआर बनाने हेतु अपनी consultancy के प्रस्ताव

311

प्राधिकरण में दिये गये थे। उनके द्वारा scope of work, payment terms व consultancy के charges विस्तृत रूप से दिये गये जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अतः प्रस्ताव अनुसार राशि रू. 22249000/– + GST Extra राशि design व Planning हेतु प्राधिकरण को वहन करनी होगी। Consultancy charges की वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति सक्षम है। RTPP Rule 2013 के तहत single source selection के लिए WAPCOS अधिकृत है। यहाँ यह उल्लेखनीय है प्राधिकरण द्वारा पूर्व में East व West का Zonal Plan बनाने हेतु WAPCOS को कार्यादेश दिया जा चुका है। इसके अलावा नगर निगम, जोधपुर द्वारा जोजरी रिवर के निर्माण हेतु डीपीआर भी WAPCOS द्वारा ही बनाई गई थी। अतः कार्यकारी समिति के समक्ष निम्न निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :–

1. जोजरी रिवर फ्रन्ट डवलपमेंट की डीपीआर बनाने हेतु राशि रू. 22249000/– + GST Extra की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति दिया जाना उचित होगा।
2. WAPCOS से single source selection पर डीपीआर बनवाया जाना उचित होगा।
3. अन्य Terms व conditions WAPCOS से Negotiate करने हेतु Procurement Committee जिसमें आयुक्त, सचिव, निदेशक अभियांत्रिकी, निदेशक आयोजना व निदेशक वित्त सदस्य होगे, को अधिकृत किया जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 1 का अनुमोदन किया गया तथा बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के संबंध में आयुक्त, सचिव, निदेशक–अभियांत्रिकी, निदेशक–आयोजना एवं निदेशक–वित्त की समिति को निर्णय करने हेतु अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर का खसरा संख्या 80, 82, 303/80, 304/82 में स्थित भूखण्ड संख्या 03 के उपविभाजित भाग क्षेत्रफल 800 वर्गगज में से रकबा 400 वर्गगज के वर्तमान भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 जोधपुर के अन्तर्गत आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) हेतु भू–उपयोग परिवर्तन। (JDA/FTS/92828)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषशा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	लैण्ड युज प्लान–2023 जोधपुर में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प) हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 80, 82, 304/80, 304/82 में स्थित भूखण्ड संख्या 03 के उपविभाजित भाग क्षेत्रफल 800 वर्गगज में से 400 वर्गगज भूमि का वर्तमान भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 जोधपुर के अन्तर्गत आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/13/2019 आवेदक रामदीन पुत्र श्री गंगाराम, निवासी–रतकुडिया, तह. भोपालगढ, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 28 जून, 2019 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 28 जून, 2019 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्राधिकरण द्वारा चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 80, 82, 303/80 व 304/82 के भूखण्ड संख्या 03 के रकबा 800 वर्गगज का उपविभाजन के आदेश क्रमांक–एफ–37/6/निदे.आयो./उप विभाजन/2019/2616 दिनांक–4.06.02019 में भूखण्ड संख्या 03 का उत्तरी हिस्सा व दक्षिणी हिस्सा का विभाजन किया गया।

सीनियर ड्राफ्ट मास्टर की रिपोर्ट अनुसार आवेदक का भूखण्ड का भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है, उक्त भूमि मास्टर प्लान की 100′ सड़क पर स्थित है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूखण्ड खाली है, तथा 100′ के मार्गाधिकार पर स्थित है। प्राधिकरण द्वारा पट्टा क्रमांक 367/16.09.2010 श्री रामदीन पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी– रतकुडिया, तह. भोपालगढ को जारी किया गया। उक्त भूखण्ड के आधे भाग अर्थात् 60′x120′=720 वर्गफीट में से दक्षिणी है। 60′x60′=3600 वर्गफीट हेतु आवेदन किया गया है, जो आवेदक के नाम व स्वामित्व का है। एवं कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार दो कि.मी. की परिधी में कोई पेट्रोल पम्प नहीं है।

आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

सहायक नगर नियोजक रिपोर्ट पत्रावली अनुसार एच.पी.सी.एल. के एल.ओ.आई अनुसार 18 मीटर ग 15 मीटर भूमि पर फ्यूल स्टेशन सहमति की है, एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 8.2.2 (अपपप) (ज) (प) (ख) अनुसार फिलिंग स्टेशन (केवल दो पहिया/तीन पहिया वाहनों के लिए) 18 मीटर चौड़ाई व ग 15मीटर गहराई की भूमि आवश्यक है।

आवेदित भूमि आवासीय से व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांकः 23. 05.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार व्यवसायिक (पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ) गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा यदि आवेदित स्थल जिस सडक पर स्थित है, का स्वरूप ही व्यवसायिक हो चुका है तो उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार सशर्त भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की कार्यवाही का अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम बुझावड खसरा संख्या 63/3, रकबा 4 बीघा यू 2 (मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट) से शिक्षण संस्थान में भू–उपयोग परिवर्तन करने बाबत्। (JDA/FTS/10513)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषशा /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	**MDP** 2031 **(Draft)** में आरक्षित वर्तमान भू–उपयोग यू–2 से शिक्षण संस्थान हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

1. ग्राम बुझावाड़ के खसरा संख्या 63/3 रकबा 04 बीघा भूमि के वर्तमान भू-उपयोग यू-2 (मास्टर प्लान 2031 ड्राफ्ट) से शिक्षण संस्थान भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/27/2018 आवेदक जी.एस.जांगिड़ मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी जरिये श्री पदमाराम जांगिड़ पुत्र श्री सगताराम। निवासी-131, प्रेम नगर योजना, खेमे का कुआ, जोधपुर।)

2. आवेदकगण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक- 24 अक्टूबर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक- 26 अक्टूबर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. नगर नियोजक सहायक की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बुझावड़ का भू-उपयोग मास्टर डवलमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार यू-2 में स्थित है। मास्टर डवलमेन्ट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति आयोजना शाखा में प्राप्त नहीं हुई है।

4. आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम बुझावड प. डोली नि.(भू.अ) क्षेत्र बोरानाड़ा की जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 114/2071-2074 अनुसार खसरा संख्या 63/3 रकबा 4.00 बीघा किस्म बी-प्रथम जी.एस. जॉगिड़ मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी जरिये अधिकृत हस्ताक्षकर्ता श्री पदमाराम जॉगिड़ पुत्र श्री सगताराम जाति जांगिड ब्राह्मण सा. प्रेमनगर योजना, जोधपुर हॉल शम्भूपुरा, ब्यावर खास, अजमेर खातेदार, दर्ज है। एवं प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 63/3 रकबा 4.00 बीघा मौके पर खाली है, जिसका द.पूर्वी के, जिसमें 70' बाई 110 का स्वीमिंग पूल बना हुआ है। ले-आउट प्लान में मार्गाधिकार हेतु खसरा संख्या 63 (रकबा 9.04 बीघा, शांतिदेवी पत्नि श्री पदमाराम जाति जांगिड़ खातेदार) तथा खसरा नं. 63/2 (रकबा 2.02 बीघा, जी.एस. जांगिड़ मेमोरियल एज्यूकेशन सोसायटी सचिव पदमाराम जांगिड़ लीज 20 वर्ष तक) से है। ले-आउट प्लान में मार्ग की चौड़ाई 40' है जबकि लगभग 500' तक 15' ही मौके पर है।

5. सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-2 प्रयोजनार्थ में आरक्षित है। मास्टर प्लान की डी.सी.आर अनुसार यू-2 में 60 फीट व उससे अधिक के मार्गाधिकार पर शैक्षणिक गतिविधि अनुज्ञेय की जा सकती है।

6. आवेदित भूमि के 60 फीट पहुॅच मार्ग करने की शर्त पर आवेदक द्वारा अपने खातेदार भूमि खसरा संख्या 63 में से 60 फीट की सड़क हेतु प्राधिकरण में समर्पणनामा प्रस्तुत कर दिया गया है।

7. आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. आवेदित भूमि शिक्षण प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। लेकिन प्रकरण में आवेदित स्थल तक पहुंच मार्ग हेतु 100 फीट सडक का मार्गाधिकार सुनिश्चित करने हेतु मार्गाधिकार में आने वाली भूमि निःशुल्क प्राधिकरण में समर्पित किये जाने की सुनिश्चितता एवं उक्त समर्पित की जाने वाली भूमि पर यदि कोई ढांचा/निर्माण है तो उक्त निर्माण/ढांचा को मौके पर हटाकर भूमि समतल किये जाने का घोषणा पत्र लेकर ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को आवश्यक स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: राजस्व ग्राम बोरानाड़ा का खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7, 103/9, 103/10 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा के जोधपुर मास्टर प्लान 2023 में आरक्षित वर्तमान भू-उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-उपयोग परिवर्तन बाबत्। (JDA/FTS/19413)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिषश /प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नही गया है।	जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में आरक्षित वर्तमान भू-उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जाती है।

राजस्व ग्राम बोरानाड़ा का खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7, 103/9, 103/10 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान-2023 में आरक्षित वर्तमान भू-उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/14/2017 आवेदक श्री वैभव डोशी पुत्र श्री निरंजन डोशी, श्रीमती अर्चिता टाटिया पत्नि श्री रूपेश टाटिया, निवासी-95, सेक्शन 7, न्यू पॉवर हाउस रोड़, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक-25 मार्च, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक- 25 मार्च, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार भू-उपयोग लैण्ड युज प्लान-2023 जोधपुर के अन्तर्गत आवासीय एवं प्रस्तावित मास्टर प्लान की 200' की सड़क (उत्तरी दिशा) पर लगता हुआ है।

पटवारी के अनुसार आवेदित खसरा संख्या 103/5, 103/6, 103/7, 103/9, 103/10 कुल रकबा 08.04 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार खातेदार वैभव डोशी पुत्र निरंजन कुमार डोशी के नाम दर्ज है, मौके पर निर्माण लगभग 20,000 वर्गफीट में हो रखा है, जो दो मंजिल (भूतल व प्रथम् तल) में है।

आवेदित भूमि आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है। आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में विद्यमान सड़क के मध्य से विद्युत लाईन गुजर रही है।

आवेदित भूमि आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में इस क्षैत्र में प्राधिकरण द्वारा 40 फीट सडक पर भूखण्डों के ले आऊट प्लान पारित किये है। लेकिन वर्तमान नियमों के तहत प्रकरण में न्यूनतम 60 फीट चौडी सडक (पहुंच मार्ग) होना अनिवार्य है। अतः पहुंच मार्ग प्रार्थी द्वारा स्वयं 60 फीट सुनिश्चित करने पर प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया जाए।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर एवं खसरा सख्ंया 295 रकबा 231.06 बीघा किस्म गै. मु. गोचर कुल रकबा 601.12 बीघा में से क्षेत्रफल 299.86 बीघा पर प्रस्तावित ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की आरक्षित–दर निर्धारण करने बाबत्। (JDA/FTS/12655)

क्र.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर एवं खसरा सख्ंया 295 रकबा 231.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर कुल रकबा 601.12 बीघा में से क्षेत्रफल 299.86 बीघा पर प्रस्तावित ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की आरक्षित–दर निर्धारण करने बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	निदेशक (अभियांत्रिकी) जोविप्रा से प्रस्तावित योजना की आरक्षित दर 12550/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारण किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुमोदन किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.1(1) नविवि/जोधपुर/2014 दिनांक 14.06.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा सख्ंया 142 व 295 के रकबा 601.12 में से 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक 30 जुलाई व 31 जुलाई 2014 के प्रस्ताव संख्या 3 (7) में उक्त योजना की व्यवसायिक रिजर्व प्राईज 13080/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई थी। जिसके अंतर्गत विभिन्न ट्रासंपोटर्स के संगठनों द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई आरक्षित दर के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई। आवंटन आरक्षित दर की बजाय डीएलसी दर पर भूखण्ड आवंटन की मांग की गई।

दिनांक 12.03.2018 को प्रस्तावित योजना के संबंध में आयुक्त महोदय के कक्ष में बैठक आयोजित की गई जिसके अंतर्गत निर्धारित की गई व्यवसायिक आरक्षित दर 13080/– को

पुनः विश्लेषण करते हुए रिजर्व प्राईज की दर निर्धारित करने हेतु निदेशक (अभियांत्रिकी) को नियुक्त किया गया।

प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46 / आवंटन / 2018 / 1107 दिनांक 03.08.2018 के द्वारा जोधपुर में पाली रोड़ पर प्रस्तावित नये ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट के आवंटन की दर निर्धारण करने हेतु सचिव, निदेशक (अभियांत्रिकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (आयोजना), उपायुक्त (पूर्व) समिति का गठन किया गया।

दिनांक 03.08.2018 को आयुक्त महोदय के कक्ष में पुनः बैठक आयोजित की गई। जिसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द में प्रस्तावित नवीन ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना हेतु निदेशक (आयोजना) द्वारा पेश किये गये ड्राफ्ट मानचित्र में विकय योग्य क्षेत्रफल में वृद्धि कर पुनः ड्राफ्ट मानचित्र आयुक्त महोदय के समक्ष पेश करने हेतु निर्णय लिया गया एवं निदेशक (अभियांत्रिकी) को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 14.02.2011 के अनुसार 20000 व.मी. से अधिक का निर्माण करने से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

दिनांक 10.04.2019 को आयुक्त महोदय जोविप्रा की अध्यक्षता में भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 02 / 2019 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 3 के अंतर्गत समिति द्वारा प्रकरण में दर्शाये गये 80x120 के भूखण्डों का माप 50x120 अथव 60x120 करते हुए तदानुसार मानचित्र में संशोधन करते हुए ले–आउट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत जोधपुर के पत्र कमांक 3412 दिनांक 24.07.2019 के द्वारा प्राधिकरण की उक्त योजना में आंतरिक पेयजल वितरण प्रणाली व बाहय पेयजल व्यवस्था हेतु तकमीना (Tantative तौर पर) प्रेषित किया गया। जिसके अंतर्गत निदेशक (अभियांत्रिकी) जोविप्रा के अनुसार प्रस्तावित योजना की आरक्षित दर 12550 / –प्रति वर्गमीटर निर्धारण किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई।

अतः प्रस्तावित योजना की आरक्षित–दर निर्धारण किये जाने हेतु प्रेषित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा भूमि एवं खसरा संख्या 295 रकबा 231.06 बीघा कुल रकबा 601.12 बीघा भूमि पर प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना की आरक्षित दर 12550 / –प्रति वर्गमीटर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: भूखण्ड सं. 101 न्यू बकरा मंडी के एवज में इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्। (JDA/FTS/69275)

क. सं.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	भूखण्ड सं. 101 न्यू बकरा मंडी के एवज में इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड सं. 101 न्यु बकरा मंडी का भूखण्ड मौका रिपोर्ट अनुसार सडक सीमा में आने से इसी योजना में रिक्त भूखण्ड सं. 462 का आवंटन किये जाने हेतु भूखण्ड कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

			भूखण्ड संख्या 101 के एवज में भूखण्ड संख्या 462 दिये जाने की अभिशंषा की जाती है।

विवरणः— प्रार्थी को बकरा मंडी योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 101 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई एक तरफ 40 फीट व दूसरी तरफ 60 फीट है।

प्रार्थी द्वारा बकरा मंडी योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के पश्चात् प्रार्थी को लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 101 (कॉर्नर) व माप 25ग50 का आवंटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की संपूर्ण राशि जमा करा दी थी तथा आवंटित भूखण्ड की लीजडीड एवं एकमुश्त लीजराशि का प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा भूखण्ड सं. 101 बकरा मंडी लीजडीड प्राप्त कर उक्त भूखण्ड का पंजीयन भी पंजीयन कार्यालय से दिनांक 24.6.2011 को किया गया है तथा भूखण्ड सं. 101 सडक सीमा में आ रहा है जिसके लिये प्राधिकरण द्वारा संबंधित कनिष्ठ अभियंता से मौका रिपोर्ट मंगवायी गयी। कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार कनिष्ठ अभियंता द्वारा उपरोक्त भूखण्ड के ब्लॉक का माप किया गया जिसके अनुसार भूखण्ड सं. 120 से माप किया गया जिस पर मौके पर संपूर्ण ब्लॉक 100 फीट वाइड रोड दीवार तक 395 फीट ही आता है किन्तु लेआउट अनुसार भूखण्ड सं. 120 से 101 तक 475 फीट होना चाहिये था। मौके पर भूखण्ड सं. 108 तक प्लाट की साइज 25ग50 मिल रही है। बाद में जलदाय विभाग की वॉटर पाइप लाईन आ रही है। अतएव उपरोक्त ब्लॉक में भूखण्ड सं. 95 व 108 के बाद प्लाट में वाटर पाईप लाइन होने से भूखण्ड सं. 96 से 101 एवं 107 से 102 का माप नही मिल रहा है। उपरोक्त भूखण्डो का माप वाटर पाइप लाईन होने से नही मिल पा रहा है। इस संबंध में प्राधिकरण पत्रांक 1938 दिनांक 29.8.2019 को प्रार्थी को पत्र द्वारा अवगत कराया कि भूखण्ड सं. 101 न्यू बकरा मंडी का भूखण्ड पाइप लाईन में जाने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु प्राधिकरण की आवासीय योजना अरना विहार योजना, झरना विहार योजना एवं आनंद विहार योजना में आवंटन करने हेतु सहमति प्रस्तुत करावें किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड सं. 462, 463 व 483 न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड सं. 101के एवज में भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की।

प्रार्थी की सहमति अनुसार बकरा मंडी भूखण्ड सं. 462 की मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने पर उक्त भूखण्ड रिक्त है तथा प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 463 व 483 के लिये भी सहमति दी गयी जिसमें जेईएन की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त दोनो भूखण्ड मौके पर उपलब्ध नही है। प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड सं. 101 कॉर्नर बकरामण्डी का आकार 25x50=116.12 वर्गमीटर है तथा इसी योजना में सहमति अनुसार भूखण्ड सं. 462 कॉर्नर 27x50=125.41 वर्गमीटर है। भूखण्ड सं. 101 न्यू बकरा मंडी की सडक की चौडाई एक तरफ 40 फीट तथा दूसरी तरफ 60 फीट है तथा न्यू बकरा मंडी के रिवाइज लेआउट प्लान के अनुसार भूखंड सं. 462 के सडक की चौडाई 40 फीट एक तरफ तथा दूसरी तरफ भी 40 फीट है। अतः प्रकरण ईसी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पर बैठक में उपायुक्त (पश्चिम) श्री श्रवण सिंह के द्वारा की गयी अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड संख्या 101 न्यू बकरा मण्डी के स्थान पर इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 462 प्रार्थी को आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: **श्री फारूक गौरी पुत्र अब्दुल जलील गौरी का प्रकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में भूखण्ड सं. 149 बी राजीव गांधी में आवंटन करने हेतु कार्यकारी समति बैठक में पुष्टि करने बाबत्। (JDA/FTS/16028)**

क. सं.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	श्री फारूक गौरी पुत्र अब्दुल जलील का प्रकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में भूखण्ड सं. 149 बी राजीव गांधी में आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में पुष्टि करने बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी श्री फारूक गौरी को राजीव गांधी योजना भूखण्ड सं. 149 बी का आवंटन पत्र जारी किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति कार्यकारी समिति बैठक द्वारा की जाना प्रस्तावित है।

प्राथी श्री फारूक गौरी का भूमि आवाप्ति मुकदमा नं. 18/74 निर्णय दिनांक 31.10.1974 द्वारा अब्दुल जलील के घंटाघर ओवर ब्रिज योजना के लिए मकान की भूमि आवाप्ति आवाप्त कर मुआवजा राशि 3560/— रू तय की गयी जो तत्कालीन न्यास द्वारा अब्दुल जलील को प्रेषित की गयी लेकिन अब्दुल जलील व उसके पश्चात् वारिशान द्वारा उक्त राशि स्वीकार नही की गयी। तत्कालीन न्यास अध्यक्ष द्वारा प्रार्थी को 200 वर्गगज तक का भूखण्ड आवंटन करने का आदेश दिया गया। तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर की ट्रस्ट बैठक में निर्णय लिया कि प्रार्थी को सरस्वती नगर येाजना में भूखण्ड 235 ए आवंटन करने का निर्णय लिया जबकि भूखण्ड सं. 235 ए सरस्वती नगर का किसी अन्य को आवंटन होने से उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र प्रार्थी को जारी नही किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता (वि.प्र.) मंच जोधपुर (प्रथम) के न्यायालय में परिवाद सं. 276/2015 प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 10.6.2019 को जिला उपभोक्त मंच जोधपुर द्वारा निर्णय पारित किया कि प्रार्थी को राजीव गांधी योजना में भूखण्ड आवंटन किया जाकर कब्जा सुपुर्द किया जावें। मुआवजे की राशि मय बयाज सहित 3560+23638= 27198 का समायेाजन आवंटित भूखण्ड की कीमत में किया जाकर आवंटन पत्र जारी किया जावें।

उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में प्रार्थी श्री फारूक गौरी को राजीव गांधी योजना में भूखण्ड सं. 149 सेक्टर बी का आवंटन कर आवंटन पत्र जारी किया गया। अतः कार्यकारी समिति बैठक में कार्यउत्तर स्वीकृति/पुष्टि हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: **श्री रमेशचंद्र माथुर को भूखण्ड सं. 25 ए पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड को अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत्। (JDA/FTS/11030)**

क्र. सं.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	श्री रमेशचंद्र माथुर को भूखण्ड सं. 25 ए पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड को अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्री रमेशचंद्र माथुर को लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. 25 ए पूर्वी पाल रोड में आवंटन हुआ था। प्रार्थी को भौतिक कब्जा नही दिया गया तथा उक्त योजना में खसरा नं. 740 / 996 विवादित होने से भूखण्ड का भौतिक कब्जा सुपुर्द नही किया गया। प्रार्थी द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना रामराज नगर में भूखण्ड आवंटन की सहमति दी है। अतः सहमति अनुसार भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।

खसरा नं. 740 / 996 ग्राम जोधपुर में पूर्वी पाल रोड योजना तैयार की गयी थी जिसका रकबा 14.15 बीघा भूमि में 10.03 बीघा भूमि के संबंध में न्यायालय में वाद प्राधिकरण के विपरित निर्णय हुआ है जिस कारण से प्रार्थी को पूर्वी पाल रोड योजना में आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा नही दिया गया।

कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 27.7.2018 के प्रस्ताव संख्या 43 में निर्णय लिया कि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 25 सेक्टर ए क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर के स्थान पर रामराज नगर योजना में समान आकार का भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

चूंकि रामराज नगर येाजना में 252 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध नही होने से अन्य क्षेत्रफल का भूखण्ड वैकल्पिक हेतु प्रार्थी को भूखण्ड सं. 107 सेक्टर 1, 128 सेक्टर 1 , 340 सेक्टर 1 एवं भूखण्ड सं. 341 सेक्टर 1 रामराज नगर रिक्त भूखण्ड का प्रस्ताव प्रार्थी को प्रेषित किया गया कि चारो भूखण्डों में से एक भूखण्ड की सहमति प्रस्तुत करावें ताकि भूखण्ड का आवंटन किया जा सके।

प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 340 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गयी। प्रार्थी को पूर्व आवंटित भूखण्ड की सडक की चौडाई 12.20 मीटर अर्थात 40 फीट है तथा वर्तमान में आवंटित किये जाने वाले भूखण्ड संख्या 340 सेक्टर 1 रामराज नगर की सडक की चौडाई 160 फीट है।

प्रार्थी द्वारा सहमति हेतु भूखण्ड सं. 340 से. 1 रामराज नगर योजना में आवंटन करने की मांग की गयी थी चूंकि प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड 12.20 मीटर सडक की चौडाई पर आवंटित हुआ था तथा प्रार्थी द्वारा सहमति अनुसार भूखण्ड सं. 340 सेक्टर 1 रामराज नगर की सडक की चौडाई 160 फीट होने से भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में नही रखा गया तथा प्रार्थी को 40 फीट सडक की चौडाई पर भूखण्ड सं. 105 सेक्टर 1, 107 सेक्टर 1, 136 सेक्टर 1 आदि रामराज नगर योजना में प्रस्ताव प्रार्थी को भिजवाया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 136 सेक्टर 1 रामराज नगर में आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत की है। भूखण्ड सं. 136 का क्षेत्रफल 281.12 वर्गमीटर है तथा प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर है। भूखण्ड सं. 136 सेक्टर 1 रामराज नगर के सडक की चौडाई लेआउट के अनुसार 40 फीट है तथा प्रार्थी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड के सडक की चौडाई 12.20 मीटर है। अतः प्रार्थी को भूखण्ड सं. 136 सेक्टर 1 रामराज नगर में आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया था लेकिन प्रार्थी द्वारा रामराज नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु सहमति दी है। प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 2 अगस्त, 2019 के प्रस्ताव संख्या 12 द्वारा निर्णय लिया गया कि, "भूखण्ड समकक्ष दिया जावे समान क्षैत्रफल का भूखण्ड उपलब्ध नहीं हो तो लगभग समान (थोडा कम या ज्यादा) क्षैत्रफल का भूखण्ड दे दिया जावे तथा प्लाट शिफिटंग में राजीव गांधी नगर, आनन्द विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार के विकल्प देकर स्थानान्तरण/क्षतिपूर्ति की कार्यवाही की जावे।" उक्त निर्णय में रामराज नगर योजना का नाम शामिल नहीं है। अतः आवेदक को इस संबंध में सूचित किया जावे कि वो इन चारों योजनाओं यथा राजीव गांधी नगर, आनन्द विहार, अरणा विहार एवं झरणा विहार योजना में (भूखण्ड उपलब्ध होने की स्थिति में) भूखण्ड लेने हेतु सहमत है तो अपनी सहमति प्रस्तुत करें। सहमति अनुसार यथासंभव समान आकार एवं यथासंभव समान चौडाई की सडक पर उक्त चारों योजनाओं में से भूखण्ड आवंटित कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री जेठाराम पुत्र श्री रतनाराम भूखण्ड संख्या 122 सेक्टर–ए, झरणा विहार योजना ग्राम बडली जोधपुर का आवंटन पत्र अनुसार ब्याज/शास्ती सहित राशि जमा करने बाबत्। (JDA/FTS/11037)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया हैं।	एजेण्डा में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुशंषा की जाती हैं।

प्रार्थी जेठाराम पुत्र श्री रतनाराम को लॉटरी दिनांक 12.08.2016 के जरिये भूखण्ड संख्या 122 सेक्टर–ए, झरणा विहार योजना ग्राम बडली जोधपुर में आवंटित किया गया । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/DC (W)/झरणा विहार/2016/623 दिनांक 02.10.2016 को जावक शाखा को दिनांक 21.10.2016 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रार्थी के स्थाई पते व पत्र व्यवहार के पते पर भेजा गया । (जो एक ही है) परन्तु उक्त आवंटन पत्र अदम तामील मूल ही वापस विभाग को दिनांक 30.10.2016 को प्राप्त हुआ है । प्रार्थी का कथन है कि मुझे आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । आवंटन पत्र को जारी हुए लगभग 2 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है । प्रार्थी द्वारा अब आवंटन पत्र जारी करने की मांग की है । ऐसी स्थिति में आवंटन पत्र जारी किया जावे या नहीं ! अब दूबारा आवंटन पत्र जारी किया जावे तो आवंटी ब्याज व शास्ती जमा नहीं करवायेगा । विधि शाखा की रिपोर्ट पत्रावली के पैरा न. 26 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस पश्चात् भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है । आवंटी को यह अवगत कराया जाना उचित होगा कि यदि व भूखण्ड की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज एवं शास्ती अविलम्ब जमा करवाने को तैयार हो तो आवंटित भूखण्ड का स्वतः निरस्तीकरण का नियमन किया जा सकता है । प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ब्याज/शाास्ती सहित राशि जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रार्थी के प्रकरण की अधिकारिता राज्य सरकार की होने से आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्रीमति मधु गोड पत्नी श्री सुरेश गौड भूखण्ड संख्या 210 सेक्टर–02, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर का आवंटन पत्र अनुसार ब्याज/शास्ती सहित राशि जमा करने बाबत् । (JDA/FTS/25561)

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/25561	भूखण्ड आवंटन पत्र में दर्ज राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा कररवाने की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी श्रीमति मधु गौड एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 210 सेक्टर–02 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा का नियमित करने की मांग की है । प्रार्थीनी को लॉटरी दिनांक 22.02.2018 को उक्त भूखण्ड आवंटित किया गया । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2868 दिनांक 02.04.2018 को आवंटन शाखा द्वारा जारी किया गया । जो आवक–जावक शाखा को दिनांक 06.04.2018 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भेजे जाने हेतु भेजा गया । प्रार्थीनी को आवंटन पत्र की शर्त संख्या 03 के अनुसार पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित राशि जमा करा सकती थी, लेकिन ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथी से देय होता है । 90 दिवस पश्चात् भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जाता है । जिसकी पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी का उल्लेख किया गया है ।
प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.03.2019 को पेश कर भूखण्ड की राशि जमा कराने में असमर्थता प्रकट करते हुए जमा अमानत राशि रूपये 20,000/– पुनः लौटाने की मांग की गई, जो लॉटरी में आवंटन होने पश्चात् राशि जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाती है । इसके सम्बन्ध में पत्रावली के पैरा नं. 8 व 9 के आदेशानुसार प्रार्थी को पत्र क्रमांक 118 दिनांक 12.04.2019 को सूचित किया जा चुका है।

प्रार्थीनी ने पुनः प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2019 को पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 210 सेक्टर–02 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा पुनः नियमितिकरण करने की मांग की है।

भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 की धारा 17(5) के अनुसार 90 दिवस पश्चात् 1 वर्ष तक भूखण्ड को नियमितिकरण करने का अधिकार आयुक्त महोदय को है तथा एक वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष तक कार्यकारी समिति को 15 प्रतिशत वार्षिक दर से एवं 10 प्रतिशत शास्ती सहित नियमिति करने का अधिकार है । प्रकरण में 1 वर्ष 4 माह हो चुके है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि आवेदक द्वारा नियमानुसार ब्याज, शास्ति एवं बकाया भूखण्ड की कीमत राशि (यदि देय हो तो) जमा करवाने के लिए सहमत हो तो प्रकरण में नियमानुसार ब्याज, शास्ति एवं बकाया भूखण्ड की कीमत राशि (यदि देय हो तो) जमा कर प्रार्थी को नियमानुसार लीज डीड (पट्टा विलेख) जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थपित होने वाले दुकानदार श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री डालूराम को पूर्व की दुकान संख्या 1 के स्थान पर वर्तमान में दुकान संख्या 23 आवंटित किये जाने बाबत।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा / प्रस्ताव
1.	भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थपित होने वाले दुकानदार श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री डालूराम को पूर्व की दुकान संख्या 1 के स्थान पर वर्तमान में दुकान संख्या 23 आवंटित किये जाने बाबतपत्रावली एफ.टी.एस. क्रमांक **(JDA/FTS/11231)**	प्रार्थी को पूर्व में आवंटित दुकान संख्या 01 भदवासिया रेलवे अण्डरब्रिज के स्थान पर दुकान संख्या 23 आवंटित करने की अनुशंषा है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.09.2011 के प्रस्ताव संख्या 4 मे भदवासिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण विस्थपित होने वाले दुकानदारों को पूर्व में आवंटित दुकान के बदले में दुकान आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। इन दुकान मालिको में से एक दुकानदार श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री डालूराम के मूल दस्तावेज गुम हो जाने के कारण पूर्व में इनको दुकान आवंटित नही की गई। शाखा में मूल पत्रावली नही होने के कारण डुप्लीकेट पत्रावली खोलने संबंधी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। प्रार्थी के मूल दस्तावेजो का भी सत्यापन कर लिये गये है। प्रार्थी को पूर्व में आवंटित दुकान संख्या 1 के स्थान पर वर्तमान में निर्मित दुकान संख्या 23 आवंटित की जानी प्रस्तावित है। प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण वास्ते निर्णायार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में संबंधित उपायुक्त विस्तृत जांच कर अपनी जांच रिपोर्ट सहित प्रकरण आगामी बैठक में वास्ते निर्णय प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 18 :: कोणार्क नगर ग्राम पाल जोधपुर शहर में प्रस्तावित उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्। (JDA/FTS/92781)

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	कोणार्क नगर ग्राम पाल जोधपुर शहर में प्रस्तावित उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55)नविवि / 3 / 2002 दिनांक 25 नवम्बर 2016 के द्वारा आवंटन नीति–2015 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रस्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किये जाने पर कोणार्क नगर ग्रम पाल के खसरा संख्या 114, 114 / 1, 114 / 3, 114 / 4, 114 / 6, 115 की ओसीएफ हेतु आरक्षित भूमि में 900 व.मी. निःशुल्क भूमि आवंटन की जा सकती है।

अधिशाषी अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खण्ड तृतीय (उ.वि. एवं राजस्व) जोधपुर के पत्र क्रमांक अअ/जन स्वा./न.ख./तस/2019–20/512–516 दिनांक 21.05.2019 के विभागीय पत्र के साथ आवंटन नीति–2015 के निर्धारित आवेदन प्रारूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर कोणार्क नगर कॉलोनी , जैन एन्कलेव, मोतीबा नगर, रायकों की ढाणियां, साई धाम, गंगाणा मैन रोड़, बिंजारिया नगर, स्टील इण्डस्ट्रिज पाल गांव एवं रीको कॉलोनी, शिल्पग्राम, वैशाली एन्कलेव एवं आस–पास में बस्सी कॉलोनियों/ढाणियों में पर्याप्त दबाव से शुद्व पेयजल आपूर्ति हेतु 900 व.मी (30x30 मीटर) राजकीय एवं जनहित में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उच्च जलाशय निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गई है।

अध्यक्ष कोणार्क नगर विकास समिति (रजिर्स्टड संख्या 163/जोधपुर/2017–18) द्वारा भी दिनांक 22.11.2018 को विकास समिति की बैठक आयोजित कर उक्त भूमि पी.एच.ई.डी. विभाग को आवंटित करने की अनुंशषा/अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

कनिष्ठ अभियंता (दक्षिण) एवं हल्का सहायक अभियंता एवं क्षेत्रीय सरपंच के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया। जिसके अंतर्गत मौके पर भूखण्ड रिक्त पाया गया। उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत पाल के खसरा नं. 114, 114/1, 114/3, 114/4, 114/6, 115 में कोणार्क नगर नाम से कॉलोनी के कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक नगर नियोजन विभाग जोधपुर द्वारा स्वीकृत ले–आउट प्लान में सामुदायिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि में आवंटन चाहा गया है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ओसीएफ लैण्ड के अंतर्गत व्यापक जनहित में सुविधा क्षेत्र में उच्च जलाशय हेतु भूमि आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है। टाउनशिप पॉलिसी–2010 में योजना में आरक्षित सुविधा क्षेत्र में व्जीमत चनइसपब नेमे अनुज्ञेय किये जाने का वर्णन है।

90–क शाखा–दक्षिण की रिपोर्ट अनुसार खातेदार/विकासकर्ता द्वारा 3 माह तक सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में प्राधिकरण कार्यालय को भूमि–आवंटन हेतु आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

विधि शाखा के अनुसार उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार खसरा संख्या 114, 114/1, 114/3, 114/4, 114/6, 115 ग्राम पाल की ओसीएफ की भूमि 321 वर्गगज भूमि से संबंधित उच्च अधीनस्थ न्यायालय में कोई वाद–विवाद लंबित नही है, की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ–46/आवंटन (दक्षिण)/2019/356 दिनांक 01.07.2019 के द्वारा आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त किये जाने के संबंध में प्राधिकरण की वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये भूमि आवंटन का प्रस्ताव अपलोड किया जा चुका है। जिसके अंतर्गत कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2016 के द्वारा आवंटन नीति–2015 के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरण को प्रत्यायोजित की गई है। अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

307

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम नांदड़ाखुर्द पंचायत समिति बनाड़ के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी.नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में। (JDA/FTS/61996)

क.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम नांदड़ाखुर्द पंचायत समिति बनाड़ के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी.नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ. 3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2016 के द्वारा आवंटन नीति-2015 के तहत उपस्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी. तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किये जाने पर ग्राम नांदड़ाखुर्द के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी. तक निःशुल्क भूमि आवंटन की जा सकती है।

मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के पत्र कमांक सामान्य/2019/13204-206 दिनांक 10.07.2019 के द्वारा आवंटन नीति-2015 के निर्धारित प्रार्थना पत्र 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम नांदड़ाखुर्द पंचायत समिति बनाड़ के खसरा संख्या 127/2 में 500 वं.मी.नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि आवंटन का प्रस्ताव पेश किया गया है।

पटवारी (पूर्व) की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम नांदड़ा खुर्द के खसरा नं 127/2 रकबा 4.10 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु मौके पर भूमि रिक्त पाई गई।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम नांदड़ा खुर्द में प्रस्तावित खसरा सख्या 127/2 का भू-उपयोग ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2031 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2031 के अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2031 रिपोर्ट में आवासीय प्रयोजनार्थ डीसीआर अनुसार पब्लिक/सेमीपब्लिक यूज में डिस्पेंसरी, क्लिनिक को 12 मीटर (40 फीट) व अधिक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा संख्या 127/2 ग्राम नांदड़ाखुर्द से संबंधित कोई वाद-विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ-46/आवंटन (पूर्व)/2019/487 दिनांक 06.08.2019 के द्वारा प्रस्ताव को प्राधिकरण की वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिए आमजन की टिप्पणी प्राप्त करने हेतु अपलोड किया गया है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2016 के द्वारा आवंटन नीति-2015 के अंतर्गत उपस्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी. तक राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निस्पादन) नियम, 1974 के नियम

31 सहपठित नियम 15 (बी) द्वाा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु विकास प्राधिकरणों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम पंचायत मोगड़ा कलां में पटवार भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में। (JDA/FTS/44876)

क्र.स.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	ग्राम पंचायत मोगड़ाकलां में पटवार भवन हेतु भूमि आवंटन के संबंध में	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10 (35) यूडीएच/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017 के अनुसार केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालय, बोर्ड, कॉपोरेशन, पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सम्मिलित किये जाने पर पटवार घर (सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय) को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट मानते हुए संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर 2016 के द्वारा राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फास्ट्रक्चर हेतु 1000 व.मी. तक भूमि आवंटन की शक्तियां प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किये जाने पर ग्राम पंचायत मोगड़ाकलां में 1000 व.मी. भूमि पटवार भवन हेतु आवंटित की जाने की अभिशंषा की जाती है।

आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप उपखण्ड अधिकारी लूणी, जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रपत्र-स में आवेदन पेश कर ग्राम पंचायत मोगड़ाकलां के खसरा नं. 213 रकबा 123.09 बीघा किस्म गै.मु. ओरण में से 1.05 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पूर्व में उपरोक्त प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक 15.05.2017 में निर्णय हेतु रखा गया था। जिसके प्रस्ताव संख्या 18 (28) में प्रस्तावित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में आरक्षित होने के कारण भू-उपयोग परिवर्तन कर आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य जनहित याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय में भू-उपयोग परिवर्तन प्रतिबंधित किया है। लिहाजा उपरोक्त प्रकरण राज्य सरकार को सार्वजनिक हित के होने से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 138-140 दिनांक 01.06.2017 के द्वारा प्रकरण को राज्य स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान करने एवं किस्म ओरण भूमि सहित आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रेषित किया गया।

जिसकी पालना में संयुक्त शासन सचिव-तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार पत्र क्रमांक प.1(29) नविवि/जोधपुर/2017 जयपुर दिनांक 22.08.2017 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार एवं जमीन की किस्म को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये। दिनांक 01.12.2017 को आवंटन नीति के प्रावधानों के अनुरूप आमजन से टिप्पणी प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर

न्यूनतम 15 दिवस हेतु अपलोड किया गया। जिसके अंतर्गत आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय को प्राप्त नही हुई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ.10 (35) यूडीएच/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017 के अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकार कार्यालय, कॉर्पोरेशन बोर्ड, पब्लिक सेक्टर अंडर टैकिंग को लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में सम्मिलित किया गया है। पटवारघर (सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय) को उक्तानुसार लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में माना है। जिसके तहत पटवारघर आता है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भूखण्ड संख्या 220 सेक्टर के विवेक विहार योजना के आवंटन के संबध में। (JDA/FTS/92633)

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार आवंटी श्री विनोद कुमार टेलर पुत्र श्री पुखराज को लॉटरी अनुसार भूखण्ड संख्या 220 सेक्टर के विवेक विहार योजना के 139.34 वर्ग.मी का भूखण्ड यथावथ रखने हेतु प्रस्तुत है।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 220 सेक्टर के नाप 139.34 वर्ग मीटर भूखण्ड श्री विनोद कुमार टेलर पुत्र श्री पुखराज को लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को आवंटित हुआ। कार्यालय द्वारा दिनांक 16.07.2014 को आवंटन पत्र जारी किया आवंटी द्वारा भूखण्ड की राशि दिनांक 30.09.2014 को रूपये 885810/– रूपये जमा करवाई गये। उक्त भूखण्ड के पट्टे की मांग करने पर पाया की आवंटी द्वारा अपने आवेदन पत्र में 92.90 वर्ग.मी अंकित कर दिया गया था। परन्तु आवेदक द्वारा भूखण्ड का आवंटन 92 से 220 वर्ग.मी में आवंटन की मांग की है लॉटरी द्वारा आवंटी 139.34 वर्ग.मी का आवटन हुआ है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड लेने की सहमती प्रस्तुत की है। आवंटी द्वारा इस भूखण्ड पर बैंक से ऋण भी लिया गया है। आवंटी यही भूखण्ड चाहता है। मासीक आय में किसी तरह का अंतर नहीं है। भूखण्ड संख्या 220 सेक्टर के 139.34 वर्ग.मी का आवंटन यथावथ रखने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पर उपायुक्त (दक्षिण) श्री ओ.पी. विश्नोई द्वारा अभिशंषा के अनुसार भूखण्ड संख्या 220 सेक्टर के क्षैत्रफल 139.34 वर्ग मीटर का आवंटन यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर सी विवेक विहार योजना में आवंटित कॉर्नर भूखण्ड में बढ रहे अधिक क्षेत्रफल की राशि के संबध में। (JDA/FTS/10804)

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार आवंटी श्री विकास सिह को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर सी विवेक विहार योजना में 418.06 वर्ग.मी का आवंटन हुआ मौके पर भूखण्ड का नाप 129.08 वर्ग.मी अधिक होने के कारण आरक्षित का 150 प्रतिशत वसूल करने हेतु प्रकरण नियमन प्रस्तुत है।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 129 सेक्टर सी नाप 418.06 वर्ग मीटर का कॉर्नर भूखण्ड श्री विकास पुत्र श्री रामसिंह को लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को आवंटित हुआ। आवंटी द्वारा जरिये चालान संख्या 9001/92912 दिनांक 29.10.2013 को 4036190/ रूपये जमा करवाये गये। आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के पट्टे की मांग की मौका रिपोर्ट मंगवाने पर उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 129.08 वर्ग.मी बढ़ रहा है। बढे हुये क्षेत्रफल की राशि जमा करवानें हेतु आवंटी द्वारा सहमती पेश की है। बढे हुये क्षेत्रफल की राशि आई.आर.ए की गणना द्वारा रिजर्व प्राईज का 150 प्रतिशत से वसूली योग्य बताया है। जो पत्रावली में पेरा नम्बर 61 पर संलग्न है। अधिक क्षेत्रफल के नियमन हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपायुक्त–दक्षिण को प्रकरण की विस्तृत जांच कर समस्त तथ्यों का समावेश कर अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: भूखण्ड़ संख्या 1000, सेक्टर डी, विवेक विहार योजना की डुप्लीकेट पत्रावली में आरक्षित दर के संबंध में। (JDA/FTS/11093)

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार आरक्षित दर की राशि किस आधार पर वसूल करनी है यह तय किया जाना है प्रार्थी को आवंटन पत्र वर्तमान रिजर्व प्राइज से जारी किया गया है जो प्राधिकरण के हित में है।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी दिनांक 26.07.2012 को भूखण्ड़ संख्या 1000, सेक्टर डी, 233.33 वर्गमीटर **श्री शैलेन्द्र सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह** को आवंटित हुआ। मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 30.07.2014 व 31.07.2014 व 15.03.2017 में डुप्लीकेट पत्रावली खोलने हेतु निर्णय लिया गया। निर्णयानुसार प्राधिकरण स्थिर पर सभी औपचारिकता पूर्ण कर दिनांक 29.05.2018 को आवंटन पत्र जारी किया गया।

आवंटन पत्र वर्तमान रिजर्व प्राईज 7865/– रू. के अनुसार जारी किया गया। जबकि आवंटी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तत्कालीन आरक्षित दर से आवंटन पत्र जारी करने की मांग कर रहा हैं। प्राथी द्वारा माननीय उपभोक्ता न्यायलय में भी वाददर्ज करवाया गया है। आवंटन पत्र की राशि किस आरक्षित दर से वसूल करनी हैं प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को वर्तमान आरक्षित दर के अनुसार राशि वसूल करने हेतु नोटिस जारी किया जावे। यदि आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करवायी जाती है तो नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: भूखण्ड़ संख्या 53, सेक्टर डी नाप 199.50 वर्ग.मी पूर्वी पाल योजना से राजीव गॉधी नगर योजना में आवंटन के संबध में। (JDA/FTS/10619)

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार अवांटी को पूर्वी पाल योजना सेक्टर डी से राजीव गॉधी नगर योजना चौखा में भूखण्ड आवंटन करना है।

प्राधिकरण की **पूर्वी पाल योजना** में लॉटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड 53 सेक्टर डी नाप 199.50 वर्ग.मी श्री सुरेश चन्द्र पुत्र श्री सरदारसिंह को आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाकर दिनांक 04.08.1991 को भूखण्ड का लाईसेंस प्राप्त किया भूखण्ड संख्या 53 सेक्टर डी पूर्वी पाल रोड़ योजना के खसरा नम्बर 740/1011 एवं 740/1012 ग्राम जोधपुर में स्थित है। उक्त खसरे में विधि शाखा की रिर्पोट अनुसार न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर प्रितम श्री वगेर में वाद दर्ज है। खसरे में विवाद होने के कारण भूखण्ड संख्या 53 का कब्जा दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के स्थान से राजीव गॉधी नगर येाजना में भूखण्ड आवंटन की मांग है। प्रार्थी द्वारा बार–बार नगरीय विकास विभाग लोकायुक्त कार्यालय , राजस्थान संम्पर्क पॉर्टल में वाद दर्ज कर भूखण्ड सिफटिंग कि मांग कर रहा है। अतः भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को उपायुक्त (दक्षिण) श्री ओ.पी. विश्नोई द्वारा बैठक में दी गयी अभिषंशा के आधार पर यथासंभव समान आकार, समान चौडाई की सडक पर राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड़ आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: भूखण्ड संख्या 144 सेक्टर जी विवेक विहार योजना के आवंटन के संबध में। (JDA/FTS/36586)

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध

01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार आवंटी श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह को इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने या कॉर्नर भूखण्ड आवंटन करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रकरण में श्रीमान् आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एक जॉच समिति बनाई गई थी जिसमें निम्न सदस्य थे

01 उपायुक्त(दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर– सदस्य।
02 उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर–सदस्य।
03 सहायक अभियंता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर–सदस्य।
04 श्री दयालसिंह राजपुरोहित राजस्व निरक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर–सदस्य।

कमेटी ने रिपोर्ट दी जो निम्नानुसार है।

विवेक विहार योजना में सेक्टर जी के लेआउट प्लान में भूखण्ड संख्या 143 से 157 का अनुमोदित लेआउट प्लान में भूल से त्रुटिवश 45X70 लिख दिया गया था। जो की 40X70 ही होना चाहिए था चूंकी सेक्टर जी में 143 से 157 कि कूल लम्बाई 640 फिट होती है। परन्तु लेआउट में त्रुटि पूर्ण (45X70) लिखे होने के कारण 45X16 के अनुसार 720 वर्गफुट पर 80 फुट भूमि कम उपलब्ध हो रही है। कार्यालय द्वारा 45X70 के 7 भूखण्डों के पट्टे वर्ष 2013 तक जारी होने के कारण 5X7=35 फुट जमीन कम प्राप्त हो रही है। जिससे मौके पर भूखण्ड संख्या 143 जो लेआउट में कॉर्नर था जो कि सिर्फ 10 फिट उपलब्ध हो रहा है। एवं भूखण्ड संख्या 144 मौके पर कॉर्नर आ रहा है। आवंटी श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौके पर नाप कर जॉच करवाने की मांग कि तो जॉच में पाया की मौके पर 35X70 जमीन कम उपलब्ध हो रही है।

कनिष्ठ अभियंता रिर्पोट के अनुसार ब्लॉक की लंबाई 646 वर्ग फुट है। 646 का यदि 16 प्लोटों में बाटा जाये तो प्रत्येक प्लॉट की साईज 40X70 ही आती है। 7 प्लॉटो के पट्टे 45X70 दे दिये गए जिसके कारण मौके पर 7X5 के हिसाब से एक भूखण्ड कम पड़ रहा है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार भूखण्ड संख्या 144 जो लॉटरी द्वारा श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतर सिंह को आवंटन है। उसको 45X70 का पट्टा जारी है। भूखण्ड संख्या 148 श्रीमती उषा चंडक पत्नी श्री अमरचन्द चंडक को 45X70 कि राशि जमा है। पट्टा जारी है। भूखण्ड संख्या 149 एक ही परिवार में दो आवंटन होने कारण उक्त भूखण्ड की राशि जमा नहीं है। न ही पट्टा जारी है। उक्त भूखण्ड रिक्त है। भूखण्ड संख्या 150,151,152,154,155,157 45X70 के आवंटन है। जिनके पट्टे जारी है। भूखण्ड संख्या 156 40X70 का पट्टा जारी किया गया है। भूखण्ड संख्या 145 ,146 , 147 , 156 कुल चार भूखण्ड 40X70 के पट्टे जारी किये गये है। भूखण्ड संख्या 150 मौके पर दिवार बना कर निर्माण किया हुआ है। जिसका नाप 45X70 है। उक्त सेक्टर में भूखण्ड संख्या 143 से 157 तक लेआउट संशोधन प्लान यदि 40X70 किया जाता है। तो भूखण्ड का नाप पूरा किया जाना संभव है। अतः प्रकरण में जे.डी.ए स्तर पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

01 सभी प्लॉट के पट्टे रिवाईज कर 45X70 के स्थान पर 40X70 किये जा सकते है एवं सभी भूखण्ड धारियो के ज्यादा जमा हुई राशि लीज राशि में समायोजित की जा सकती है।
02 श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह का भूखण्ड कॉर्नर आ रहा हैं चूंकी भूखण्ड संख्या 150 का नाप 45X70 होने व मौके पर बॉउडरी एवं कमरा बना हुआ है जिसको तोड़ना मुश्किल प्रतीत होता एवं मुआवजा भी देना पड़ सकता है चूंकि प्रार्थी को जे.डी.ए पहले से ही पट्टा दे चुका

3m

है। अतः श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह का प्लॉट संख्या 144 निरस्त किया जा सकता है एवं श्री रूपसिंह को जमा करवायी राशि वापिस लौटायी जा सकती है।
03 श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह को भूखण्ड संख्या 144 के नियमानुसार 10 प्रतिशत अधिक पैसे लिये जाकर कॉर्नर भूखण्ड दिया जा सकता है जिसमें श्री रूपसिंह सहमत भी है।
04 विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या 149 सेक्टर जी प्रेरणा सिंगाडिया पुत्री श्री गौतमचन्द सिंगाडिया एव भूखण्ड संख्या 2 सेक्टर एच चित्रा सिंगाडिया पुत्री श्री गौतमचन्द सिंगाडिया एक ही परिवार के दो सदस्यों को भूखण्ड आवंटन हुआ है। लेकिन नियमानुसार एक परिवार को केवल एक ही भूखण्ड आवंटन किया जा सकता है। इसी दौहरे आवंटन में भूखण्ड संख्या 149 सेक्टर जी भी शामिल है। जिसकी राशि जमा नहीं है। अतः भूखण्ड संख्या 149 का आवंटन निरस्त कर श्री रूपसिंह पुत्र श्री छतरसिंह को आवटित किया जा सकता हैं।
उक्त रिपोर्ट के अनुसार निर्णय कार्यकारी समिति में किया जाना है।
एन.आई.सी शाखा की रिपोर्ट जो कि संलग्न है उसके अनुसार जी सेक्टर में समान आकार एवं समान सड़क का भूखण्ड सिर्फ एक ही रिक्त एवं उपलब्ध है जो कि भूखण्ड संख्या 246 माप 45x70 एवं 40 फिट सड़क पर स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड संख्या 246 आकार 45 फीट गुणा 70 फीट मौके पर उपलब्धता के आधार पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन यह सुनिश्चित करे कि नवीन स्थान पर स्वीकृत प्लान अनुसार ही आवंटन हो तथा भूखण्ड संख्या 144 की तरह यहाँ पुनरावृति नहीं हो।

प्रस्ताव संख्या 26 :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना एवं खसरा नं. 289 गांव मालियान की रिजर्व प्राइस तय करने बाबत। (JDA/FTS/)

क्र सं	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा / प्रस्ताव**
1.	सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना एवं खसरा नं. 289 गांव मालियान की रिजर्व प्राइस तय करने बाबत।	आयोजना शाखा से प्राप्त मानचित्र अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना की रिजर्व प्राइस 10600 / – प्रतिवर्गमीटर निर्धारण करने की अभिशंषा की जाती है।

सुन्दरसिंह भण्डारी नगर विस्तार योजना खसरा नं. 289 गांव बासनी मालियान की भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम की भूमि है। इस पर आयोजना शाखा से प्राप्त मानचित्र अनुसार योजना के अधीन (268209.87 वर्ग फीट 153.93) बीघा क्षैत्र में प्लानिंग की गई।
सुन्दरसिह भण्डारी नगर विस्तार योजना में विद्युत विभाग का तकमिना 912.00 लाख एवं जलदाय विभाग द्वारा का तकमिना 750.00 लाख का प्राप्त हुआ। योजना के मूल भूत सुविधा के तहत सडक, पानी, बिजली एवं सीवर आदि का तकमिना के आधार पर विकास पर 3437.93 लाख का खर्चा आयेगा।
सुन्दरसिह भण्डारी नगर विस्तार योजना का विक्रय क्षैत्रफल 65709.14 वर्ग मीटर है।
सुन्दरसिह भण्डारी नगर विस्तार योजना की रिजर्व प्राइस 10600 / – प्रतिवर्गमीटर है।
अतः प्रस्तावित योजना की आरक्षित दर निर्धारण किये जाने हेतु प्रेषित है।

आ

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: अवार्ड संख्या 20 ग्राम सांगरिया में आंवटित भूखण्ड सं. जे–24 नाप 311.11 व.ग., जे–32 नाप 311.11 व.ग. व जे–91 रकबा 233.33 व.ग. पर अतिक्रमण होने पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने के क्रम में। (JDA/FTS/89746)

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 20 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री संजू उर्फ संजय पुत्र श्री पुखराज को इसी योजना में अन्य भूखण्ड करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अवार्ड संख्या 20 खसरा सं. 226 रकबा 23.07 बीघा ग्राम सांगरिया अवार्डी श्री संजू व प्रकाश पुत्रान् श्री पुखराज के नाम अवार्ड जारी हैं। अवार्ड में अवार्डियो के उक्त अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में 20 प्रति ात विकसित आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया गया। अवार्ड में लॉटरी में आवंटित अन्य भूखण्डों के साथ उक्त तीन भूखण्ड जे–24 नाप 311.11 व.ग. , जे–32 नाप 311.11 व.ग. व जे–91 रकबा 233.33 व.ग. का आवंटन अवार्ड में किया गया। परन्तु उक्त तीनों भूखण्डों पर तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त तीनों भूखण्डों के मुटाम नहीं पाए गए व उक्त तीनों भूखण्डों के सम्भावित क्षेत्र पर अतिक्रमण पाया गया। अवार्ड में अवार्डी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त तीनों भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड अपनी अवाप्त भूमि के समीप मांग की है। अतः प्राधिकरण की एन.आई. सी भााखा से प्राप्त सेक्टर 'जे' व आई के रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार उक्त अवार्ड में दो भूखण्ड 311.11 व.ग. व एक भूखण्ड 233.33 व.ग. के कुल तीन भूखण्ड के क्षेत्रफल 855.55 व.ग. के एवज में भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तावित है।

सलग्नः– एन.आई.सी. शाखा से प्राप्त सेक्टर 'जे' व 'आई' रिक्त भूखण्डों की सूची।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज	सड़क फीट
1	जे–134	311.11	40
2	आई–120	311.11	40
3	जे–77	233.33	40
4	जे–80	233.33	40
5	जे–98	233.33	40
6	जे–99	233.33	40

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में अतिक्रमण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु उपायुक्त–दक्षिण को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: अवार्ड संख्या 14 ग्राम सांगरिया में आंवटित भूखण्ड सं. ओ–333 व 355 क्रमशः रकबा 233.33 व.ग. मौके पर भूखण्ड उपलब्ध नहीं होने पर अन्य भूखण्ड आवंटन करने के क्रम में। (JDA/FTS/79456)

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के संबंध
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्रस्ताव अनुसार अवार्ड संख्या 14 ग्राम सांगरिया के अवार्डी श्री राजू उर्फ राजेश भाटी पुत्र श्री बाबुलाल को इसी योजना में अन्य भूखण्ड करने हेतु पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

अवार्ड संख्या 14 खसरा सं. 223, 224, 226/1 रकबा 37.18 बीघा ग्राम सांगरिया अवार्डी श्री राजू पुत्र बाबू एव श्री आसू, रमेश पुत्रान् भंवरलाल के नाम अवार्ड जारी हैं। अवार्ड में अवार्डियो के उक्त अवाप्त भूमि के बदले मुआवजे के रूप में 20 प्रतिशत विकसित आवासीय भूखण्डों का आवंटन किया गया। अवार्ड में लॉटरी में आवंटित अन्य भूखण्डों के साथ 30 फीट सड़क सीमा पर उक्त दो भूखण्ड ओ–333 नाप 233.33 व.ग. व ओ–355 रकबा 233.33 व.ग. का आवंटन अवार्ड में किया गया। उक्त दोनों भूखण्ड पत्रावली में प्रस्तुत आपसी सहमति व बंटवाड़े अनुसार अवार्डी श्री राजू उर्फ राजेश भाटी पुत्र बाबुलाल के हिस्से में आयें। अवार्ड में आवंटित उक्त दो भूखण्ड जो श्री राजू उर्फ राजेश भाटी के हिस्से में आवंटित हूए दोनों भूखण्डों पर कनिश्ठ अभिंयता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 333 व 355 सेक्टर ओ मौके पर उपलब्ध नहीं है एवं बिजलीघर बना है अवार्ड में अवार्डी श्री राजू उर्फ राजेश द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त दोनों भूखण्डों के स्थान पर अन्य भूखण्ड आंवटन करने की मांग की है। अतः प्राधिकरण की एन.आई.सी शाखा से प्राप्त सेक्टर ओ के रिक्त भूखण्डों की सूची अनुसार उक्त अवार्ड में कुल दोनों भूखण्डों के क्षेत्रफल 466.66 व.ग. के एवज में भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रकरण निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तावित है।

सलग्नः– एन.आई.सी. शाखा से प्राप्त सेक्टर ओ के रिक्त भूखण्डों की सूची।

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज	सड़क फीट
1	ओ–701	233.33	30
2	ओ–132	233.33	30
3	ओ–135	233.33	30
4	ओ–139	233.33	30
5	ओ–193	233.33	30

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान यह पाया गया कि प्रकरण में संबंधित उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड कॉर्नर नहीं होने, भूखण्ड मौके पर रिक्त होने, भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित नहीं होने तथा कितने फीट चौडी सडक पर स्थित होने बाबत रिपोर्ट अंकित नहीं है। अतः इन समस्त तथ्यों के संबंध में संबंधित उपायुक्त (उपायुक्त–दक्षिण) की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 29 :: मेगा आवास योजना (PPP) राजस्थान सरकार की अफोंडेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 के अंतर्गत ग्राम आंगणवा में आवास निर्माण बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1	पत्रावली के अनुसार कोई तथ्य नहीं छुपाया गया हैं। **JDA/FTS/70085**	विनिर्मित 221 आवास गृहों के आवंटीयों के डिफॉल्टर होने के कारण, आवास गृह निरस्त करने तथा दिनांक 22.08.2018 को सम्पादित हुई द्वितीय लॉटरी में प्रतीक्षा सूची में रखे गये EWS, LIG एवं MIG के क्रमशः 25, 03 एवं 09 प्रतीक्षार्थियों हेतु श्रेणीवार आवास गृह आरक्षित रखते हुए शेष आवास गृहों का **EWS,** LIG एवं **MIG** के क्रमशः 80, 80 एवं 24 हेतु लॉटरी द्वारा आवंटन करने की अनुशंषा की जानी हैं।

आंगणवा स्थित मेगा आवास में विकासकर्त्ता द्वारा कुल 1072 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका हैं। जिसमें से 221 आवंटियों द्वारा विभिन्न कारणों से डिफॉल्टर होने के कारण उनके आवंटन निरस्त करते हुए द्वितीय लॉटरी की प्रतीक्षा सूची में रखे गये। EWS-25, LIG-03 व MIG-09 प्रतीक्षार्थीयों हेतु आवास गृह आरक्षित रखते हुए शेष आवास गृह EWS-80, LIG-80 व MIG-24 हेतु लॉटरी द्वारा आवंटन करने का दिनांक 18.07.19 को आयोजित लोकल लेवल प्रोजेक्ट अप्रुवल कमेटी (LLPAC) की बैठक में निर्णय लिया गया हैं।

इसी योजना में 114 आवंटियों द्वारा आज दिनांक तक रूपये 1,00,000/– तक तथा उससे कम की राशि ही जमा करवायी गई हैं। इन आवंटियों को बार–बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी नियमानुसार निर्धारित राशि जमा नहीं करवाई जा रही हैं। उक्त 114 आवंटियों के आवंटन निरस्त करने तथा निरस्तीकरण के पश्चात् पुनः लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने के संबंध में कार्यकारी समिति के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार 221 आवेदनों को निरस्त करने तथा रेरा रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही त्वरित गति से करने हेतु नोडल ऑफिसर को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा इसके बाद लॉटरी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 114 आवंटियों के संबंध में नियमों के परिपेक्ष्य में जांच कर स्पष्ट अभिषंशा के साथ पत्रावली पर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया तथा प्रस्तुत एजेण्डा पर असंतोष व्यक्त किया गया तथा भविष्य में स्पष्ट एजेण्डा मय अभिषंशा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम बडली खसरा नं. 88 में जल भण्डारण हेतु भूमि आवंटन। (JDA/FTS/33851)

क. सं.	विषय	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम बडली खसरा नं. 88 में जल भण्डारण हेतु भूमि आवंटन।	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	जलदाय विभाग को जल भण्डारण हेतु ग्राम बडली खसरा नं. 88 में जल भण्डारण हेतु 26250 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि योजना के कियान्वन हेतु आवंटन करने का

अंग

			प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

सहायक अभियंता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग उपखण्ड मण्डोर द्वारा पत्रांक 584 दिनांक 2.7.2019 को संलग्न नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–स प्रेषित कर निवेदन किया कि ग्राम बडली खसरा नं. 88 में 4 ग्राम चौखा, बडली, गोलासनी एवं बडली नेड के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु फिल्टर प्लान्ट, पम्प हाउस, उच्च जलाशय, स्वच्छ जलाशय एवं भण्डारण निर्माण कार्य के लिए ख. नं. 88 में कुल 26250 वर्गमीटर भूमि की आवश्यकता है। उक्त भूमि केशव शिक्षण संस्थान के सामने स्थित है। उसमें से 1000 वर्गमीटर भूमि की अतिशीघ्र आवश्यकता है ताकि योजना का कियान्वन किया जा सके। इस योजना के कियान्वन के लिए राशि 17.22 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग को प्राप्त हुई है। विभाग द्वारा उक्त भूमि जनहित में शीघ्र निशुल्क भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त भूमि का मौका रिपोर्ट पटवारी से प्राप्त करने पर पटवारी द्वारा ख. नं. 88 में चौखा से जैसलमेर बाईपास एवं बडली के अरणा चौराहा सडक के मध्य जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की भूमि स्थित है जहां पीएचईडी को भूमि आवंटन नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त खसरे की विधि शाखा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर विधि शाखा द्वारा निम्न प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में विवाद लंबित दर्शाया है।

1) RH Jodhpur के प्रकरण संख्या एचबी सिविल डबल्यु. पी 11306/11 देवराज चौपडा बनाम स्टेट एंड अदर्स भूखण्ड सं. 246 खसरा नं. 88 ग्राम बडली न्यू मिल्कमैन कॉलोनी का भौतिक कब्जा बाबत्।
2) RH Jodhpur एच बी सिविल रिट 11700/11 मुलतानमल चौपडा वर्सेज स्टेट एंड अदर्स भूखण्ड सं. 326 खसरा नं. 88 ग्राम बडली न्यू मिल्कमैन कॉलोनी का भौतिक कब्जा बाबत्।
3) RH Jodhpur एच बी सिविल रिट 2460/15 सनसिटी एज्युकेशन सोसायटी बनाम स्टेट एंड अदर्स खसरा नं. 88 ग्राम बडली में विद्यालय हेतु भूमि आवंटन।

उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 में याचिका संख्या 11792/2010 राधेश्याम बनाम सरकार व अन्य तथा तीन अन्य याचिकाओ में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2017 दिए गए निर्देशो की पालना में गठित जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जोधपुर के संयुक्त परिवेदन निस्तारण समिति में उक्त प्रकरण का विचार किया गया। आवंटन पत्र के शर्त संख्या 2 के अनुसार आवंटित भूखण्ड की कीमत 1,93,139/– रू आवंटन पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस में जमा करानी थी किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटित राशि का चैक 1.5.2008 को जमा कराया है जो नगर विकास न्यास के द्वारा स्वीकार नही किया गया। भूखण्उ की राशि निर्धारित अवधि में जमा नही कराने से प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड नियमानुसार स्वतः निरस्त किया गया है इसलिए समिति द्वारा आपका दावा अस्वीकार किया गया।

बिन्दु सं. 3 में याचिका सं. 2460/2015 सनसिटी एज्युकेशन सोसायटी सरकार एवं अन्य में आदेश कमांक 3329–3330 दिनांक 31.1.2019 के अनुसार सनसिटी एज्युकेशन सोसायटी के अध्यक्ष को अवगत कराया कि वर्तमान में आवंटन नीति 2015 के अनुसार भूमि आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है। अतः आवंटन नीति 2015 के तहत आवेदन करने पर विद्यालय हेतु भूमि आवंटन नियमानुसार किया जा सकता है।

अतः तीनो व्यक्तियों को पत्र द्वारा अवगत कराया गया किन्तु तीनो व्यक्तियों का कोई पत्र प्राधिकरण कार्यालय में पुनः प्रेषित नही होने से इस कारण से उक्त खसरे में इसी प्रकार का विवाद नही होना प्रतीत हो रहा है।

उक्त खसरे की मास्टर प्लान 2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार खसरा नं. 88 बडली का भू–उपयोग Fectiul city/torsum city and bus stand के लिए आरक्षित दर्शाया है। उक्त खसरे में से मुख्य जैसलमेर रोड गुजरती है जिसका मार्गाधिकार 60 मीटर (200 फीट) व मास्टर प्लान 2023 के

अनुसार सडक मार्गाधिकार उपरान्त 100फीट–100फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि आरक्षित रखी जानी होगी। मास्टर प्लान 2031 में उक्त खसरे में विशेष कर आपत्ति संख्या 540 दर्ज है जिसमें आपत्ति श्री पन्नालाल कच्छवाह पुत्र प्रभुलाल द्वारा दर्ज की गयी है कि जोधपुर शहर के 40 किमी एरिया में आये हुये खनन क्षेत्र और खनिज उपलब्ध क्षेत्र खसरा नं. 812 बडली का खसरा नं. 88, बडली खसरा नं. 05, कालीबेरी खसरा नं. 415 को सुरक्षित रखते हुए इन क्षेत्रो में व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित नही करें।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, उच्च जलाशय, स्वाच्छ जलाशय एवं भण्डारण के निर्माण हेतु खसरा नं. 88 ग्राम बडली में 1000 मीटर एवं 25250 वर्गमीटर का भू–उपयोग बस स्टेण्ड से सुविधाएं हेतु करते हुए आवंटन प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यकारी समिति रखा जाकर 1000 मीटर का भू–उपयोग परिवर्तन कर राज्य सरकार से वाद अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। 25250 वर्गमीटर का भू–उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति में अभिशंषा के साथ भेजकर वाद भू–उपयोग परिवर्तन आवंटन हेतु राज्य सरकार को अभिशंषा सहित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जलदाय विभाग को जल भण्डारण की योजना का क्रियान्वन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि खसरा नं. 88 ग्राम बडली में आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार जलदाय विभाग को जल भण्डारण की योजना का क्रियान्वयन हेतु 1000 वर्गमीटर का प्राधिकरण स्तर पर भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया भू–उपयोग परिवर्तन के राज्य सरकार से अनुमोदन के बाद आवंटन का निर्णय लिया गया तथा साथ ही 25250 वर्ग मीटर भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अभिशंषा सहित राज्य स्तरीय समिति में प्रकरण प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। आवंटन से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाईट पर भी प्रकरण अपलोड किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: शास्त्री सर्किल के उपयोग हेतु शुल्क तय किये जाने बाबत् (JDA/FTS/89514)

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	कमेटी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को बैठक आहुत कर विभिन्न आयोजनों हेतु आवंटन दिये जाने हेतु दरें निम्नांकितानुसार प्रस्तावित की गई है। 1. म्यूजिकल फाउण्टेन संचालन के समय शुल्क वसूली का कार्यादेश 2019–20 के लिए (दिनांक 29.4.2020 तक) रूपये 2,52,450 / – जमा करवा कर दिया हुआ है। अतः उपरोक्त समय के अतिरिक्त ही प्रातः 6 से सांय 6 बजे ग्रीष्मकालीन एवं प्रातः 5 से सांय 5 बजे शीत कालीन के लिए, सर्किल आयोजन हेतु किराए पर दिया जा सकता है। 2. शास्त्री सर्किल पर लॉन एरिया लगभग 6450 वर्गमीटर है। न्यूनतम आधे लॉन एरिया पर आयोजन हेतु 3 घंटे के लिए न्यूनतम 3 हजार रूपये तथा इसके पश्चात प्रति घंटे एक हजार रूपये लिए जाने उचित रहेंगे। 3. चूंकि आयोजन में गंदगी हो जाती है या आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो इसके विरूद्ध 2 हजार रूपये रिटर्नेबल बेसिस पर जमा करवाऐ जाने उचित होंगे। यदि पार्टी द्वारा आयोजन	कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों एवं शर्तों का विवरण कार्यकारी समिति में अनुमोदनार्थ रखने हेतु प्रस्तुत हैं।

37

	समाप्ति के एक घंटे के अन्दर साफ सफाई नहीं जाती है, तो यह राशि जब्त कर ली जायेगी। साफ सफाई करवाने पर एवं स्थिति संतोषजनक होने पर यह राशि(2 हजार रूपये) कनिष्ठ अभियन्ता की अनुशंषा पर लौटा दी जायेगी। 4. आवंटित समय के दौरान आवंटी, पार्क में घूमने के लिए आने वाले नागरिकों को उपयोग हेतु मना नहीं करेगा। इस सार्वजनिक स्थल पर कोई भी असामाजिक गतिविधियां आयोजित नहीं करेगा तथा कार्यक्रम के दौरान शांति भंग नही करेगा। कानून व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी आवंटी की स्वयं की होगी। यदि सर्किल पर किसी प्रकार की तोड़ फोड़ होती है तो इसकी समस्त वसूली आंवटी से ली जावेगी। उक्त शर्तों के साथ आवंटन पत्र की प्रति कानून व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारियो को भी भिजवाई जानी उचित रहेगी। 5. यदि कार्यक्रम के लिए किसी अन्य विभाग की अनुमति जरूरी हो तो आवंटी स्वयं इसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से लेगा। अनुमति के अभाव में यदि कार्यक्रम निरस्त होता है, इसके एवज में न्यूनतम राशि 3 हजार रूपये वापिस नहीं लौटाई जाएगी।	

एजेण्डा

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शास्त्री सर्किल को विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय–समय पर विभिन्न आयोजनों हेतु काम में लिया जाता है। शास्त्री सर्किल में विभिन्न आयोजनों हेतु शुल्क तय किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 17 के निर्णय अनुसार निम्नानुसार कमेटी गठित की गई थी :–

1. उपायुक्त दक्षिण – संयोजक
2. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम – सदस्य
3. अधिशाषी अभियन्ता दक्षिण – सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को बैठक आहुत कर विभिन्न आयोजनों हेतु आवंटन दिये जाने हेतु दरें निम्नांकितानुसार प्रस्तावित की गई है।

1. म्यूजिकल फाउण्टेन संचालन के समय शुल्क वसूली का कार्यादेश 2019–20 के लिए (दिनांक 29.4.2020 तक) रूपये 2,52,450/– जमा करवा कर दिया हुआ है। अतः उपरोक्त समय के अतिरिक्त ही प्रातः 6 से सांय 6 बजे ग्रीष्मकालीन एवं प्रातः 5 से सांय 5 बजे शीत कालीन के लिए, सर्किल आयोजन हेतु किराए पर दिया जा सकता है।

2. शास्त्री सर्किल पर लॉन एरिया लगभग 6450 वर्गमीटर है। न्यूनतम आधे लॉन एरिया पर आयोजन हेतु 3 घंटे के लिए न्यूनतम 3 हजार रूपये तथा इसके पश्चात प्रति घंटे एक हजार रूपये लिए जाने उचित रहेंगे।

3. चूंकि आयोजन में गंदगी हो जाती है या आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है, तो इसके विरूद्ध 2 हजार रूपये रिटर्नेबल बेसिस पर जमा करवाऐ जाने उचित होंगे। यदि पार्टी द्वारा आयोजन समाप्ति के एक घंटे के अन्दर साफ सफाई नहीं जाती है, तो यह राशि जब्त कर ली जायेगी। साफ सफाई करवाने पर एवं स्थिति संतोषजनक होने पर यह राशि(2 हजार रूपये) कनिष्ठ अभियन्ता की अनुशंषा पर लौटा दी जायेगी।

4. आवंटित समय के दौरान आवंटी, पार्क में घूमने के लिए आने वाले नागरिकों को उपयोग हेतु मना नहीं करेगा। इस सार्वजनिक स्थल पर कोई भी असामाजिक गतिविधियां आयोजित नहीं करेगा तथा कार्यक्रम के दौरान शांति भंग नही करेगा। कानून व्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी आवंटी की स्वयं की होगी। यदि सर्किल पर किसी प्रकार की तोड़ फोड़ होती है तो इसकी समस्त वसूली आंवटी से ली जावेगी। उक्त शर्तों के साथ आवंटन पत्र की प्रति कानून व्यवस्था से सम्बन्धित अधिकारियो को भी भिजवाई जानी उचित रहेगी।

5. यदि कार्यक्रम के लिए किसी अन्य विभाग की अनुमति जरूरी हो तो आवंटी स्वयं इसकी अनुमति सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से लेगा। अनुमति के अभाव में यदि कार्यक्रम निरस्त होता है, इसके एवज में न्यूनतम राशि 3 हजार रूपये वापिस नहीं लौटाई जाएगी।

कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों एवं शर्तों का विवरण उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति में अनुमोदनार्थ रखने हेतु प्रस्तुत हैं।

कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु एजेन्डा नोट

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शास्त्री सर्किल को विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय–समय पर विभिन्न आयोजनों हेतु काम में लिया जाता है। शास्त्री सर्किल में विभिन्न आयोजनों हेतु शुल्क तय किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 17 के निर्णय अनुसार निम्नानुसार कमेटी गठित की गई :–

1. उपायुक्त दक्षिण – संयोजक
2. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम – सदस्य
3. अधिशाषी अभियन्ता दक्षिण – सदस्य

उक्त कमेटी द्वारा दिनांक 13.08.2019 को बैठक आहुत कर विभिन्न आयोजनों हेतु आवंटन दिये जाने हेतु दरें प्रस्तावित की गई है। कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों का विवरण संलग्न कर कार्यकारी समिति में रखने हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित कमेटी द्वारा प्रस्तावित दरों का अनुमोदन कर दर लागू करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 32 :: राजकीय कन्या महाविद्यालय मथानिया को खसरा संख्या 69/2 मथानिया एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय मण्डोर में खसरा संख्या 1893 मण्डोर हेतु भूमि आवंटन।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में 10 एकड भूमि का आवंटन किया जाना है।	कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में 10 एकड भूमि का आवंटन की अनुशंषा है।

राजकीय कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में 10 एकड़ भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के अंतर्गत किया जाना है।

पटवारी एवं भू –निरिक्षक अनुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.2019 के द्वारा ग्राम मथानिया के खसरा नम्बर 69/2 रकबा 35.00 बीघा किस्म गै.मु. गौचर बताया गया है उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होना बताया गया एवं मौके पर उक्त भूमि खाली होना बताया गया है। जिसे कन्या महाविद्यालय हेतु आवंटित की जा सकती है।

कार्यालय पत्र क्रमांक 106 दिनांक 22.8.2019 के द्वारा उक्त खसरा भूमि का न्यायलय में किसी प्रकार का वाद विवाद संबंधी रिपोर्ट विधि शांखा से प्राप्त करने हेतु लिखा गया विधि शाखा का पत्र दिनांक 27.8.2019 के अनुसार खसरा न 69/2 में किसी प्रकार का प्रकरण न्यायालय में लम्बित होना नही बताया गया है। इसी प्रकार आयोजना शाखा का पत्र दिनांक 26.8.2019 के द्वारा उपरोक्त खसरा का भू–उपयोग ग्रामीण ऐरिया बताया गया है एवं ग्रामीण ऐरिया की डीसीआर को प्राधिकरण की बैठक में संसोधन हेतु निणयार्थ रखा गया है। कार्याकारी

समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्युनतम 100 फीट सड़क पर कॉलोज परियोजनार्थ गतिविधिया अनुज्ञेय बताया गया है।

अतः कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में रकबा 35.00 मे से 10 एकड़ भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार आवंटन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने तथा प्राप्त आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: राजकीय पशु चिकित्या महाविधायल को ग्राम घड़ाव के खसरा संख्या 66 एंव ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा 602/4 में भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के सम्बन्ध में अभिषंशा/प्रस्ताव
1.	पशु महाविधायल को खसरा संख्या 602/4 ग्राम रामपुरा भाटियान में रकबा 62.10 बीघा में से भूमि का आवंटन किया जाना है। पत्रावली एफ.टी.एस.क्रमांक JDA/FTS/94768	पशु महाविधायल को खसरा संख्या 602/4 ग्राम रामपुरा भाटियान में रकबा 62.10 बीघा में से भूमि का आवंटन की अनुशंषा है।

पटवारी एंव भूमि-निरिक्षक अनुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 30.08.2019 के द्वारा ग्राम रामपुरा भाटियान के खसरा नम्बर 602/4 रकबा 62.10 बीघा किस्म गै.मु. गौचर बताया गया है। उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होना बताया गया मौके पर उक्त भूमि भाग खाली होना बताया गया है। जिसे पशु महाविधायल हेतु आवंटत की जा सकती है।

उक्त खसरा भूमि का न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विवाद संबधी रिपोर्ट विधि शांखा से प्राप्त की गई है। विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 30.08.2019 के अनुसार किसी प्रकार का वाद लम्बित नही होना बताया गया है। उक्त खसरा भूमि का भू-उपयोग आयोजना शाखा द्वारा दिनांक 30.08.2019 के अनुसार ग्रामीण एरिया बताया गया है। उक्त भूमि जोधपुर मथानिया रोड़ पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार 200 फीट सड़क दर्शाया गया है। आयोजन शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण अनुसार कोई आपत्ति प्राप्त नही होना बताया गया है।

अतः पशु चिकित्सा महाविद्यायल हेतु खसरा संख्या 602/2 ग्राम रामपुरा भाटियान में रकबा 62.10 में से भूमि आवंटन कें सबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय हेतु रामपुरा भाटियान के खसरा नम्बर 602/2 रकबा 62-10 बीघा तथा ग्राम घड़ाव के खसरा नम्बर 66 में से आवेदन अनुसार आवंटन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही करने तथा प्राप्त आवेदन को पोर्टल पर अपलोड कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

इसके उपरान्त सभी प्रभारी अधिकारियों को एजेण्डा स्पष्ट व सारगर्भित बनाने तथा प्रकरण पूर्व की किसी कार्यकारी समिति या प्राधिकरण की बैठक में रखा हो तो उसका विवरण भी आवश्यक रूप से देने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग-10/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 12..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

क्रमांक/बैठक/2019/970-987 दिनांक :: 06 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको-जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक- अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त-पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता-I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 3 सितम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री जगदीश कुमार चौहान, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर
8. श्रीमती संगीता पंजवानी, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
9. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
10. श्री आलोक माथुर, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर
11. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, जोधपुर
12. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रभारी सीबीएस, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
13. श्री मनमथ आढ़ा, उप निरीक्षक, कार्यालय पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर